संख्या-1/2017-बी-4-288/दस-2017-1(बी)-4/2017

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
लोक निर्माण विभाग / औद्योगिक विकास /
आवास एवं शहरी नियोजन/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग /
ग्राम्य विकास विभाग/ऊर्जा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 07 जून, 2017

विषय : प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु संसाधनों की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, ऊर्जा विभाग तथा औद्योगिक विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकार की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की योजनाओं के लिये सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं यथा हडको, नाबार्ड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, पॉवर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन आदि से नीचे दी तालिका में उल्लिखित ऋण की अधिकतम सीमा के अधीन वास्तविक आवश्यकतानुसार ऋण लिया जायेगा -

क्र0	**विभाग**	**निगम/प्राधिकरण**	**प्रयोजन**	**ऋण की अधिकतम राशि (करोड़ रूपये में)**
1	लोक निर्माण	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम	सड़कों का निर्माण	2600
		उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण राज्य	राजमार्गों का उन्नयन / निर्माण	2500
		उ0प्र0 सेतु निगम	सेतुओं का निर्माण	1000
2	औद्योगिक विकास	उ0प्र0 एक्सप्रेस-वे एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण	एक्सप्रेस-वे का निर्माण	3500

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	आवास एवं शहरी नियोजन	उ0प्र0 आवास विकास परिषद	नगरीय आवास	1000
4	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन	सूडा	नगरीय आवास	1000
5	ग्राम्य विकास	उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद	ग्रामीण आवास	3000
6	ऊर्जा विभाग	उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन	विद्युत वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण	800
		उ0प्र0 ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन	पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	1020
		उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम	विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का निर्माण / उन्नयन	160
योग-				**16580**

2- इस संबंध में यह अपेक्षा की जाती है कि विभाग से संबंधित अवस्थापना सुविधाओं के उन्नयन अथवा निर्माण की परियोजनायें संबंधित निगम/स्वायत्तशासी संस्था/ प्राधिकरण द्वारा यथाशीघ्र तैयार कराकर सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित वित्तीय संस्था को परियोजना प्रस्ताव प्रेषित किये जायँ तथा परियोजना के वित्त पोषण हेतु आवश्यक ऋण, शासकीय गारण्टी एवं ऋण की ब्याज सहित अदायगी हेतु विभाग के बजट में व्यवस्था कराये जाने के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

3- वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा गारण्टी प्रदान की जायेगी जो गारण्टी शुल्क रहित होगी।

4- ऋण की ब्याज सहित अदायगी के लिये संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण के रीपेमेण्ट शेड्यूल के अनुसार विभाग के बजट में वर्षानुवर्ष व्यवस्था कराकर, धनराशि सम्बन्धित निगम/स्वायत्तशासी संस्था/ प्राधिकरणों को अवमुक्त की जायेगी जिसका उपयोग संबंधित निगम/स्वायत्तशासी संस्था/प्राधिकरण द्वारा केवल और केवल उपर्युक्तानुसार प्राप्त किये गये ऋण की ब्याज सहित अदायगी के लिये किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- ऋण की अवधि एवं ब्याज दरों का अन्तिम रूप से निर्धारण वित्त विभाग के स्तर पर वित्तीय संस्थाओं के साथ नेगोशियेशन कर किया जायेगा। ऋण की शर्तों का निर्धारण हो जाने के उपरान्त ही संबंधित निगम/प्राधिकरण/स्वायत्तशासी संस्था द्वारा वित्तीय संस्था से ऋण आहरित किया जायेगा ।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनूप चन्द्र पाण्डेय,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2017-बी-4-288(1)/दस-2017-1(बी)-4/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (ऑडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रधान महालेखाकार (वाणिज्यिक), उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त सचिव/विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र सं4/2/10/2017-सी0एक्स(1) दिनांक 06 जून, 2017 के क्रम में।

आज्ञा से,
मुकेश मित्तल,
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।